

प्रकरण संख्या 165/2021 वाद
मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला निम्बाहेड़ा
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

1. शबाना बी पत्नी इमरान खान मेव जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।

—वादिया

बनाम

1. शबनम पत्नी मुजीबखां जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।
2. उपपंजीयक महोदय निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेड़ा।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- 1- श्री अबरार अहमद - अधिवक्ता वादी
2- श्री शुभम छाजेड़- अधिवक्ता प्रतिवादी नंबर 1

:: निर्णय ::

दिनांक :-04.11.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा बहाजिरी श्री अबरार अहमद वादी अधिवक्ता पैरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार तहसीलदार निम्बाहेड़ा हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुक्म दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53,188 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर वाके मौजा निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा ए तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित खाता संख्या 840 की आराजी नंबर 3074/1650 रकबा 0.2180 हैक्टेयर भूमि का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 17.08.2023 को जारी कर बंटवारा करने हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने बंटवारा फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24.10.2024 को प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

- 1 श्रीमति शबनम बी पत्नी मुजीबखान मेव जाति मुसलमान सा. देह खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	लगान(रु.)
3074/1650/1 पूर्वी हिस्सा	0.1453	2.76

कुल किता-1 0.1453



- श्रीमती शबाना बी पत्नी इमरान खान मेव मुसलमान सा.देह खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	लगान(रु.)
3074/1650/2 पश्चिमी हिस्सा	0.0727	1.38

कुल किता-1 0.0727


अतः उपरोक्तानुसार बटवारा स्वीकार किया जाता है तहसीलदार निम्बाहेड़ा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे व पहुँच सुनिश्चित करें। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिक्ने अपना वहन करे।

चीजमुबलिक.....बाबत.....
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरहफीसदी सालाना आज की
तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे


सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.11.2024 को जारी की

गई।
मुहर


दस्तखत
ओहदा
सहायक कलेक्टर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा .	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
.....				
स्टाम्प वकालतनामा ..			स्टाम्प वकालतनामा		
.....				
स्टाम्प वजह सबूत ..			स्टाम्प वजह सबूत		
.....				
महनताना वकील ...			महनताना वकील .		
.....				
खर्चा गवाहान. ...	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
.....				
फीस कमिश्नर. ..			फीस कमिश्नर		
.....				
बाबत इजराय हुक्मनामा .			बाबत इजराय हुक्मनामा		
.....				
मुतफरिक .			मुतफरिक		
.....				
मीजान			मीजान		



नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :- विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या - 165/2021 वाद
GCMS No. - 2021/340

1. शबाना बी पत्नी इमरान खान मेव जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।

-वादिया

बनाम

1. शबनम पत्नी मुजीबखां जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।
2. उपपंजीयक महोदय निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेड़ा।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- उपस्थित :- 1- श्री अबरार अहमद - अधिवक्ता वादी
2- श्री शुभम छाजेड़- अधिवक्ता प्रतिवादी नंबर 1

:: निर्णय ::

दिनांक :- 04.11.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जाकर वादिया व प्रतिवादी नंबर 1 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की क्रय शुदा आराजियात वाके मौजा निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा ए तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित खाता संख्या 840 की आराजी नंबर 3074/1650 रकबा 0.2180 हैक्टेयर भूमि का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 17.08.2023 को जारी कर बंटवारा करने हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने बंटवारा फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24.10.2024 को प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

1. श्रीमति शबनम बी पत्नी मुजीबखान मेव जाति मुसलमान सा. देह खातेदार
आराजी न. रकबा (हैक्टेयर) लगान(रु.)
3074/1650/1 0.1453 2.76
पूर्वी हिस्सा


कुल किता-1 0.1453

- 2 श्रीमती शबाना बी पत्नी इमरान खान मेव मुसलमान सा.देह खातेदार
आराजी न. रकबा (हैक्टेयर) लगान(रु.)
3074/1650/2 0.0727 1.38
पश्चिमी हिस्सा

कुल किता-1 0.0727

वकील वादी ने वादपत्र में अंकित कथनों को दोहराया। वादी पक्षकारान ने तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त फर्द विभाजन प्रस्ताव अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु सहमति जाहिर की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-



सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

1. श्रीमति शबनम बी पत्नी मुजीबखान मेव जाति मुसलमान सा. देह खातेदार
आराजी न. रकबा (हैक्टयेर) लगान(रु.)
3074 / 1650 / 1 0.1453 2.76
पूर्वी हिस्सा


.....
कुल किता-1 0.1453
.....

2 श्रीमती शबाना बी पत्नी इमरान खान मेव मुसलमान सा. देह खातेदार
आराजी न. रकबा (हैक्टयेर) लगान(रु.)
3074 / 1650 / 2 0.0727 1.38
पश्चिमी हिस्सा

.....
कुल किता-1 0.0727
.....

तहसीलदार निम्बाहेडा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अलग अलग खाते व लगाम कायम करे व पहुंच मार्ग सुनिश्चित करे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा 3